अध्याय—1

अध्याय–1

1. राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2017 को राज्य के 72 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (उपक्रम) थे, जिसमें सरकारी कम्पनियाँ व सांविधिक निगम सम्मिलित थे ***(परिशिष्ट 1.1)*** जैसा की तालिका क्र. 1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका क्र. 1.1: 31 मार्च 2017 को उपक्रमों की संख्या

उपक्रमों का प्रकार	कार्यशील उपक्रम	अकार्यशील उपक्रम[1]	योग
सरकारी कम्पनियाँ[2]	52	17	69
सांविधिक निगम	02	01	03
योग	54	18	72

वर्ष 2016–17 के दौरान, 13[3] उपक्रम गठित हुये/ लेखापरीक्षा के लिए सौंपे गए तथा तीन[4] उपक्रम बंद कर दिये गए। 31 दिसम्बर 2017 की स्थिति में, 54 कार्यशील व 18 अकार्यशील उपक्रमों में से 46 कार्यशील व 11 अकार्यशील उपक्रमों ने वर्ष 2014–15 से 2016–17 की अवधि के अपने लेखे तैयार किए ***(परिशिष्ट 1.2)***। इन 57 उपक्रमों के अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार, 29 उपक्रमों ने ₹ 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 19 उपक्रमों ने ₹ 5,625.52 करोड़ की हानि वहन की तथा शेष 9 उपक्रमों को न लाभ हुआ न हानि[5]। 31 दिसम्बर 2017 को अद्यतन अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार इन उपक्रमों द्वारा ₹ 77,588.17 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया गया।

57 उपक्रमों द्वारा राज्य शासन के निवेश पर औसत 0.88 प्रतिशत नकारात्मक प्रतिफल (आरओआई) उत्पन्न किया गया। इसके विपरीत, वर्ष 2014–15 से 2016–17 के दौरान, राज्य शासन के ऋण की औसत लागत 6.72 प्रतिशत थी। अतः विगत तीन वर्षों में लेखे अन्तिमिकृत करने वाले इन 57 उपक्रमों में निवेश करने के कारण, सरकारी कोष को लगभग ₹ 3,672.26 करोड़ की हानि हुई। शेष 15 उपक्रम जिनके द्वारा लेखे अन्तिमिकृत नहीं किए, उनकी हानि, यदि कोई हो, आंकलित नहीं की जा सकी।

31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार, राज्य के उपक्रमों में 62,034 कर्मचारी (54 कार्यशील उपक्रमों में 61,745 व 18 अकार्यशील उपक्रमों में 289) थे। अकार्यशील उपक्रमों में विगत तीन वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई तथा 31 मार्च 2017 तक इनमें ₹ 990.44 करोड़ (अंश पूंजीः ₹ 311.66 करोड़ व ऋणः ₹ 678.78 करोड़) का निवेश था।

---

[1] सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जिनमें पिछले तीन वर्षों में कोई गतिविधि नहीं हुई।

[2] कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45), 139(5) और 139(7) में उल्लेखित कम्पनियाँ।

[3] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए9, ए29 और ए30 महालेखाकार (आ. एवं रा.क्षे.ले.), मध्य प्रदेश, भोपाल को सौंपी गयी तथा क्रम संख्या ए15, ए16, ए19, ए20, ए21, ए22, ए23, ए24, ए25 और ए52 महालेखाकार (सा. एवं सा.क्षे.ले.), मध्य प्रदेश, ग्वालियर को सौंपी गयी

[4] मध्य प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रीज निगम लिमिटेड, मध्य प्रदेश लिफ्ट सिंचाई निगम लिमिटेड और मध्य प्रदेश राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड।

[5] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए40 के शुद्ध व्यय पूरी तरह से अपनी सहायक कम्पनियों, जिनके लिए यह कार्य करती है के बीच वितरित किए जाते हैं, क्रम संख्या ए3, ए4, ए8 और ए34 की परिचालन हानि को सरकार को स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्रम संख्या ए15 और ए16 के व्यय को व्यवसाय प्रारम्भ होने तक प्री–ऑपरेटिव व्यय के रूप में माना जाता है, क्रम संख्या ए29 और ए30 के शुद्ध व्यय को उनके प्रोजेक्ट फंड खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है।

अनुशंसाएँ:

क्योंकि घाटे में चल रहे व अकार्यशील उपक्रमों के अस्तित्व में बने रहने के कारण सरकारी कोष को भारी हानि होती है, अतः राज्य सरकार को चाहिए कि: (1) सभी घाटे में चल रहे उपक्रमों की कार्य पद्धति का अवलोकन करे (2) अकार्यशील उपक्रमों के समापन की संभावना की समीक्षा करे; तथा (3) अकार्यशील उपक्रमों के कर्मचारियों को राज्य शासन के विभागों में रिक्त पदों पर विपरीत प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने की सम्भावना खोजें, जैसा राजस्थान सरकार द्वारा किया गया है।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा पर कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 139 एवं 143 लागू होती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) इन कम्पनियों की लेखापरीक्षा हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) को सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त करता है तथा अनुपूरक लेखापरीक्षा सम्पादित करता है।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधान द्वारा नियंत्रित होती है जैसा तालिका क्र. 1.2 में वर्णित है:

तालिका क्र. 1.2: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा पर लागू होने वाले विधान

क्र. स.	निगम का नाम	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्राधिकार	लेखापरीक्षा व्यवस्था
1	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन अधिनियम, 1950 की धारा 33(2)	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एकमात्र लेखापरीक्षा
2	मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन	वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन अधिनियम, 1962 की धारा 31(8)	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा
3	मध्य प्रदेश वित्त निगम	स्टेट फाइनन्सियल कार्पोरेशन अधिनियम, 1951 की धारा 37(6)	चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन शासन को जारी किए जाते हैं, जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971 के अनुसार उन्हे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करवाता है।

1.3 मध्य प्रदेश शासन के संबन्धित प्रशासनिक विभाग इन उपक्रमों के क्रिया–कलापों पर नियंत्रण रखते हैं, जिनके प्रमुख अधिकारी व निदेशक मण्डल राज्य शासन द्वारा नियुक्त किये जाते है।

मध्य प्रदेश शासन की हिस्सेदारी

1.4 उपक्रमों में राज्य शासन की हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से होती है, नामतः अंश पूँजी व ऋण, उपभोक्ताओ को अनुदान व सब्सिडी के रूप में विशेष बजटीय सहायता तथा उपक्रमों द्वारा वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋणों पर प्रत्याभूति।

राज्य उपक्रमों में निवेश

1.5 31 मार्च 2017 को राज्य के 72 उपक्रमों में राज्य शासन, केंद्र शासन व अन्य द्वारा किया गया निवेश (अंश पूंजी व दीर्घावधि ऋण) ₹ 81,529.50 करोड़ था जिसका

विवरण तालिका क्र. 1.3 में दिया गया है (अधिक जानकारी ***परिशिष्ट 1.1*** में दी गयी है)।

तालिका क्र. 1.3: 31 मार्च 2017 की स्थिति में राज्य के उपक्रमों में कुल निवेश

(₹ करोड़ मे)

उपक्रमों का प्रकार	अन्तिमिकृत लेखों की स्थिति	अंश पूंजी			दीर्घावधि ऋण			कुल योग
		राज्य शासन	अन्य[6]	कुल	राज्य शासन	अन्य[7]	कुल	
कार्यशील उपक्रम	2014–15 से 2016–17[8]	15,144.22	10,806.95	25,951.17	36,204.17	18,005.11	54,209.28	**80,160.45**
	2014–15 से पूर्व	117.34	10.68	128.02	218.23	32.36	250.59	**378.61**
	उप–योग	**15,261.56**	**10,817.63**	**26,079.19**	**36,422.40**	**18,037.47**	**54,459.87**	**80,539.06**
अकार्यशील उपक्रम	2014–15 से 2016–17	12.00	119.32	131.32	0.00	0.64	0.64	**131.96**
	2014–15 से पूर्व	123.02	57.32	180.34	677.18	0.96	678.14	**858.48**
	उप–योग	**135.02**	**176.64**	**311.66**	**677.18**	**1.60**	**678.78**	**990.44**
योग		**15,396.58**	**10,994.27**	**26,390.85**	**37,099.58**	**18,039.07**	**55,138.65**	**81,529.50**

(स्त्रोतः उपक्रमों के वार्षिक लेखे/उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार)

1.6 31 मार्च 2017 को राज्य के उपक्रमों में निवेश की क्षेत्र वार संक्षेपिका तालिका क्र. 1.4 में दी गयी है।

तालिका क्र. 1.4: राज्य के उपक्रमों में क्षेत्र वार निवेश

क्षेत्र का नाम	कार्यशील उपक्रम		अकार्यशील उपक्रम		योग	कुल निवेश (₹ करोड़ में)	विगत पाँच वर्षों में कुल निवेश (₹ करोड़ में)
	तीन वर्ष के लेखों के साथ	तीन वर्ष के लेखों के बिना	तीन वर्ष के लेखों के साथ	तीन वर्ष के लेखों के बिना			
ऊर्जा	10	0	1	0	11	75,366.71	45,126.97
विनिर्माण	7	0	9	3	19	430.14	-25.91
वित्त	12	3	0	2	17	1,910.91	223.34
सेवा	9	0	1	1	11	2,509.73	1,585.09
अधोसंरचना	10	0	0	1	11	997.76	859.31
कृषि व सहायक	3	0	0	0	03	314.25	248.40
योग	**51**	**3**	**11**	**7**	**72**	**81,529.50**	**48,017.20**

(स्त्रोतः उपक्रमों के अंकेक्षित लेखे/उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार)

राज्य शासन के निवेश का जोर मुख्यतः ऊर्जा क्षेत्र के छह उपक्रमों[9] में था। ऊर्जा क्षेत्र में राज्य शासन के द्वारा ₹ 48,961.13 करोड़ (अंश पूंजी में ₹ 14,553.77 करोड़ व ऋण में ₹ 34,407.36 करोड़) के निवेश में से ₹ 27,618.74 करोड़ (अंश पूंजी में ₹ 3,965.40 करोड़ व ऋण में ₹ 23,653.34 करोड़) का निवेश 2012–17 के दौरान किया गया।

[6] केंद्र सरकार की अंश पूंजी और 10 नियंत्रक कम्पनियों द्वारा उनकी 35 सहायक कम्पनियों में ₹ 6,043.19 करोड़ का निवेश सम्मिलित है।

[7] केंद्र सरकार और वित्तीय संस्थानों से ऋण सम्मिलित है

[8] कम से कम 2014–15 तक के लेखों को अंतिम रूप दिया गया।

[9] मध्य प्रदेश पावर मेनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड।

1.7 वित्त लेखों व उपक्रमों के लेखों में प्रदर्शित राज्य शासन की अंश पूंजी व ऋण के आंकड़ों में अंतर को तालिका क्र. 1.5 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.5: 31 मार्च 2017 को पूंजी व बकाया ऋण

(₹ करोड़ मे)

निवेश	वित्त लेखों के अनुसार	उपक्रमों के लेखों के अनुसार[10]	अंतर
अंश पूंजी	17,231.86	14,668.29	**2,563.57**
ऋण	22,723.87	33,349.22	**10,625.35**

(स्त्रोतः उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी व मध्य प्रदेश शासन के 2016–17 के वित्त लेखे)

वित्त लेखों व उपक्रमों के लेखों में प्रदर्शित राज्य शासन द्वारा प्रदत्त प्रत्याभूतियों के आंकड़ों में अंतर को तालिका क्र. 1.6 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.6: 31 मार्च 2017 को बकाया प्रत्याभूतियाँ

(₹ करोड़ मे)

बकाया प्रत्याभूतियाँ	वित्त लेखों के अनुसार	उपक्रमों के लेखों के अनुसार	अंतर
	11,462.86	3,709.32	**7,753.54**

(स्त्रोतः उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी व मध्य प्रदेश शासन के 2016–17 के वित्त लेखे)

अनुशंसाः

वित्त विभाग, प्रशासनिक विभागों व उपक्रमों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ इन अंतरों के निर्धारित समय में मिलान हेतु त्वरित कदम उठाने चाहिए।

1.8 उपक्रमों में सरकारी निवेश की स्थिति निम्न तालिका क्र. 1.7 में दी गयी है।

तालिका क्र. 1.7: उपक्रमों में सरकारी निवेश की स्थिति

(₹ करोड़ मे)

विवरण	उपक्रमों की संख्या	राशि
अकार्यशील उपक्रमों में शासन का नाममात्र[11] का निवेश	1[12]	0.16
अकार्यशील उपक्रम जहां कोई व्यय नहीं है	6[13]	0.00
अकार्यशील उपक्रमों द्वारा 2015–16 व 2016–17 में प्राप्त अंश पूंजी, ऋण व अनुदान/ सब्सिडी	1[14]	3.15
उन उपक्रमों पर मध्य प्रदेश शासन के बकाया ऋण व प्रत्याभूतियाँ, जिन्होंने विगत पांच वर्षों में ऋण पर ब्याज नहीं चुकाया	9[15]	34,642.78[16]

(स्त्रोतः उपक्रमों द्वारा प्रदत्त जानकारी व मध्य प्रदेश शासन के 2016–17 के वित्त लेखे)

[10] वर्ष 2016–17 के मध्य प्रदेश के वित्त लेखों के अन्तिमिकरण के समय सितम्बर 2017 तक उपक्रमों के अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार।

[11] ₹ एक करोड़ से कम की अंश पूंजी और ऋण

[12] मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड

[13] *परिशिष्ट 1.1* के क्रम संख्या सी1 से सी4, सी6 और डी1

[14] मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

[15] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए11, ए14, ए35 से ए38, सी4, सी5 और डी1।

[16] इसमें *परिशिष्ट 1.1* के क्रम संख्या ए35 से ए38 को दी गयी ₹ 263.88 करोड़ की प्रत्याभूतियाँ सम्मिलित है।

अनुशंसाः

क्यूंकि उन 10 उपक्रमों द्वारा, जिंहोने ऋण पर ब्याज तक नहीं चुकाया, ऋण वापसी की संभावना कम है, यदि वे अस्तित्व में है, तो राज्य शासन को पुराने ऋणों को अंश पूंजी में परिवर्तित करने अथवा अपलेखित करने पर विचार करना चाहिए तथा भविष्य में भुगतान, यदि कोई हो, तो अनुदान के रूप में होना चाहिए, यह सुनिश्चित करने के बाद कि इन में से कुछ उपक्रम बंद नहीं किए जाने चाहिए।

लेखों के अंतिमिकरण में बकाया

1.9 कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर अर्थात् सितंबर माह के अंत तक, कम्पनियों के वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। इसमें हुई विफलता, दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित कर सकती हैं, जिसके तहत् कम्पनी का हर अधिकारी जिससे चूक होगी, पर एक वर्ष तक की कैद या ₹ पचास हजार से ₹ पाँच लाख तक का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों लगाया जा सकता है।

सांविधिक निगमों के मामले में लेखों का अंतिमिकरण, लेखापरीक्षण एवं विधायिका में प्रस्तुतीकरण, संबंधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए।

31 दिसम्बर 2017 को, 29 कार्यशील उपक्रमों के लेखे 13 वर्ष तक के समय से बकाया थे, जैसा ***परिशिष्ट 1.3*** में दर्शाया गया है। लेखों के अंतिमिकरण में देरी के परिणामस्वरूप, निश्चित अवधि के पश्चात प्रायः महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनुपलब्धता या हानि के कारण तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण, गबन व दुरुपयोग की संभावना बनी रहती है।

54 कार्यशील उपक्रमों में से, मात्र 25 उपक्रमों[17] ने 2016–17 के अपने लेखों का अंतिमिकरण किया एवं शेष 29 उपक्रमों के 54 लेखे[18] लंबित थे। 29 उपक्रमों में से, 21 उपक्रमों के लेखे एक वर्ष, छह उपक्रमों के लेखे दो से पाँच वर्ष व दो उपक्रमों के लेखे पाँच वर्ष से अधिक समय से लंबित थे, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.3*** में दिया गया है।

वे 29 उपक्रम, जिनके लेखे बकाया थे, उनके निदेशक गण, जो साथ साथ विभिन्न विभागों में विभिन्न पदों पर भी पदस्थ रहे हैं व कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही के लिए बाध्य हैं, की जानकारी ***परिशिष्ट 1.4 (अ)*** व ***(ब)*** में दी गई है।

1.10 उपरोक्त के अतिरिक्त, 31 दिसम्बर 2017 को, 18 अकार्यशील उपक्रमों में से सात उपक्रमों के लेखे बकाया थे। इन सात उपक्रमों में से चार उपक्रम[19] 17 से 27 वर्षों[20] से परिसमापनाधीन थे व इनके 52 लेखे सात से 27 वर्षों से लंबित थे। शेष तीन उपक्रमों के बकाया लेखों की जानकारी तालिका क्र. 1.8 में दी गयी है।

---

[17] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए2, ए3, ए4, ए5, ए7, ए8, ए9, ए18, ए24, ए26, ए27, ए29, ए30, ए32, ए33, ए34, ए35, ए39, ए43, ए48, ए49, ए50, ए52, बी1, और बी2

[18] प्रति वर्ष एक लेखें की दर से।

[19] इन बकाया लेखों वाले परिसमापनाधीन चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अलावा, एक और उपक्रम, दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड, नवंबर 2017 में परिसमापन में चला गया हैं। हालांकि, कम्पनी ने 2016–17 तक के अपने लेखे तैयार किए है।

[20] मध्य प्रदेश फिल्म विकास निगम लिमिटेड 15 दिसंबर 1994 से, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड 28 जून 1990 से, मध्य प्रदेश विद्युत यंत्र लिमिटेड अप्रैल 2005 से और ऑप्टेल टेलिकम्युनिकेशन लिमिटेड जून 2000 से।

तालिका क्र. 1.8: अकार्यशील उपक्रमों में बकाया लेखे				
वर्ष	**अकार्यशील उपक्रमों की संख्या**	**बकाया लेखों की संख्या**	**वर्ष जिनके लेखे बकाया हैं**	**बकाया लेखों के वर्षों की संख्या**
2014–15	03	38	1990–91 से 2014–15	6 से 25
2015–16	03	41	1990–91 से 2015–16	7 से 26
2016–17	03	42	1990–91 से 2016–17	6 से 27

1.11 राज्य सरकार द्वारा 17 कार्यशील उपक्रमों में ₹ 13,977.68 करोड़ {अंश पूंजी: ₹ 94.63 करोड़ (छह उपक्रम), ऋण: ₹ 1,224.74 करोड़ (सात उपक्रम), पूंजीगत अनुदान: ₹ 4,727.75 करोड़ (11 उपक्रम), अन्य (सब्सिडी व राजस्व अनुदान): ₹ 7,100.83 करोड़ (सात उपक्रम) एवं प्रत्याभूतियाँ: ₹ 829.73 करोड़ (चार उपक्रम)} को बजटीय सहायता उस अवधि में दी, जब उनके लेखे बकाया थे, जिसका विवरण ***परिशिष्ट 1.5*** में दिया गया है। इसमें से ₹ 266.77 करोड़ की बजटीय सहायता उन तीन उपक्रमों को दी गयी थी जिनके लेखे तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया थे, जिसमें से ₹ 120.93 करोड़ इन उपक्रमों को 2016–17 के दौरान दिये गए थे।

इसके अलावा, राज्य शासन ने एक[21] अकार्यशील उपक्रम को भी ₹ 4.34 करोड़ की बजटीय सहायता उस अवधि में प्रदान की, जिस अवधि में उसके लेखे बकाया थे, जैसा ***परिशिष्ट 1.5*** में वर्णित है । इसमें से ₹ 0.73 करोड़ की बजटीय सहायता 2016–17 के दौरान अनुदान के रूप में दी गयी थी ।

राज्य शासन द्वारा उन उपक्रमों को जिनके लेखे बकाया थे को बजटीय सहायता प्रदान करने का निर्णय वित्तीय रूप से अविवेकपूर्ण था क्योंकि राज्य शासन के पास इन उपक्रमों की वित्तीय स्थिति का आकंलन करने का कोई आधार नहीं था। यह इसी तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि नौ उपक्रम जिन्हें राज्य शासन द्वारा ऋण दिया था, ने पिछले पाँच वर्षों से ब्याज का भुगतान ही नहीं किया।

अनुशंसाएँ:

1. वित्त विभाग व संबन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य के उपक्रम अपने लेखों को अद्यतन बनाने के लिए त्वरित कदम उठाएँ, ताकि इन उपक्रमों के निदेशक कम्पनी अधिनियम व सांविधिक निगमों के संबंधित अधिनियमों के उल्लंघन के दोषी ना बने रहें।

2. वित्त विभाग व संबन्धित प्रशासनिक विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बजटीय सहायता उन उपक्रमों को न दी जाए जिनके लेखे अद्यतन नहीं हैं।

अद्यतन अंतिमिकृत लेखों के अनुसार उपक्रमों का प्रदर्शन

1.12 वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखों को अंतिम रूप देने वाले 46 कार्यशील उपक्रमों[22] ***(परिशिष्ट 1.6)*** के प्रदर्शन का आकंलन करने के लिए प्रयुक्त मुख्य वित्तीय अनुपात तालिका क्र. 1.9 में दिए गए हैं।

[21] प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड को अनुदान दिया गया

[22] वित्तीय अनुपात की गणना अकार्यशील उपक्रमों या उन उपक्रमों के लिए नहीं की जा सकती जिनके लेखे बकाया हैं।

तालिका क्र. 1.9: कार्यशील उपक्रमों के प्रमुख पैमाने					
विवरण	**प्रमुख पैमाने (प्रतिशत में)**	**2014–15**	**2015–16**	**2016–17**	**औसत**
लाभ अर्जित करने वाले उपक्रम	आरओसीई[23]	12.34	29.01	10.58	17.31
	आरओआई[24]	12.34	29.01	10.58	17.31
	आरओई[25]	7.95	9.44	4.24	7.21
हानि वहन करने वाले उपक्रम	आरओसीई	–5.14	–11.97	–258.74	–91.95
	आरओआई	–5.14	–11.97	–258.74	–91.95
	आरओई	–242.96	–224.26	–68.61	–178.61
सभी उपक्रमों का औसत	आरओसीई	–0.06	2.11	9.31	3.79
	आरओआई	–0.06	2.11	9.31	3.79
	आरओई	–43.46	–41.03	4.18	–26.77
ऋण की लागत		**6.88**	**6.86**	**6.42**	**6.72**
(स्त्रोतः उपक्रमों के अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार जानकारी)					

1.13 लाभ में प्रमुख योगदानकर्ता मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 91.81 करोड़), मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन (₹ 35.41 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 63.05 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹ 39.12 करोड़), मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड (₹ 53.44 करोड़) थे। 2014–17 के दौरान इन कम्पनियों की आरओआई 11.76 प्रतिशत और 60.08 प्रतिशत के बीच थी। उपक्रम जिन्हे, उनके नवीनतम अन्तिमिकृत लेखों के अनुसार भारी हानि हुई मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 2,766.08 करोड़), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,616.91 करोड़) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (₹ 1,207.01 करोड़) थे।

1.14 राज्य सरकार ने उपक्रमों के लिए एक लाभांश नीति तैयार की थी (जुलाई 2005), जिसके तहत सभी उपक्रमों को कर पश्चात लाभ का कम से कम 20 प्रतिशत लाभांश भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, उनके नवीनतम अंतिमिकृत लेखों[26] के अनुसार, 29 उपक्रम जिनमें शासन की अंश पूँजी ₹ 7,853.40 करोड़[27] थी, द्वारा कुल ₹ 397.74 करोड़ का लाभ अर्जित किया, किन्तु मात्र चार उपक्रमों ने ही ₹ 43.38 करोड़[28] का लाभांश प्रस्तावित किया। इस प्रकार, मध्य प्रदेश सरकार की लाभांश नीति का उल्लंघन करते हुए, लाभ अर्जित करने वाले 25 उपक्रमों ने 2016–17 में उनके ₹ 187.45 करोड़ के लाभ पर ₹ 37.49 करोड़ का लाभांश घोषित नहीं किया।

अनुशंसाः

राज्य सरकार को इन लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों को लाभांश नीति लागू होने की दिनांक (जुलाई 2005) से बकाया लाभांश (₹ 474.46 करोड़) को सरकारी खाते में जमा कराने हेतु आदेश देना चाहिए।

1.15 कम्पनी अधिनियम, 2013 में उल्लेख है कि प्रत्येक कम्पनी का निदेशक मंडल एक वर्ष में कम से कम चार बार मिलेगा। यद्यपि, यह देखा गया कि 52 क्रियाशील

[23] नियोजित पूंजी पर प्रतिफल = (लाभांश, ब्याज और कर से पहले का शुद्ध लाभ/ हानि)/नियोजित पूँजी, जहाँ नियोजित पूंजी = निवेश – डैफर्ड राजस्व व्यय (डीआरई)। चूँकि 2014–17 के दौरान उपक्रमों में कोई डीआरई नहीं थी, आरओसीई व आरओआई समान थी।

[24] निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) = (लाभांश, ब्याज और कर से पहले का शुद्ध लाभ)/ निवेश।

[25] अंश पूँजी पर प्रतिफल (आरओई) = (कर के बाद का शुद्ध लाभ – वरीयता लाभांश)/ शेयरधारकों की निधि

[26] पिछले तीन वर्षों यानी 2014–15 से 2016–17 के दौरान अन्तिमिकृत नवीनतम खाते

[27] नवीनतम अंतिमिकृत खातों के अनुसार शेयरधारकों की निधि ।

[28] मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड (₹ 7.91 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड (₹ 12.58 करोड़), मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड (₹ 18.38 करोड़), मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (₹ 4.51 करोड़)

कम्पनियों में से 26 कम्पनियों ने 2014–17 के दौरान चार से कम बैठकें आयोजित की जिसका विवरण तालिका क्र. 1.10 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.10: उपक्रमों द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या में कमी

वर्ष	आयोजित बैठकों की संख्या में कमी	कम्पनियों की संख्या	*परिशिष्ट 1.1* में कम्पनी के नाम की क्रम संख्या
2014–15	3	01	ए2
	2	08	ए10, ए14, ए18, ए31, ए47, ए12, ए52, ए17
	1	06	ए3, ए6, ए7, ए28, ए51, ए13
2015–16	3	06	ए14, ए46, ए51, ए25, ए19, ए24
	2	04	ए28, ए12, ए15, ए16
	1	02	ए18, ए49,
2016–17	3	03	ए9, ए25, ए19
	2	02	ए51, ए22
	1	04	ए31, ए46, ए20, ए13

अकार्यशील उपक्रमों का समापन

1.16 31 मार्च 2017 की स्थिति में 18 अकार्यशील उपक्रम (17 कम्पनियाँ और एक सांविधिक निगम) थे। इन अकार्यशील उपक्रमों की स्थिति इस प्रकार है: (1) पांच उपक्रमों ने विगत एक से 27 वर्ष के दौरान परिसमापन प्रक्रिया आरंभ कर दी है। दादा धूनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड के मामले में स्वैच्छिक परिसमापन प्रारम्भ हो चुका है और परिसमापक नियुक्त किया गया है (मार्च 2018)। शेष चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों[29] के मामले उच्च न्यायालय, जबलपुर के परिसमापक के पास लंबित हैं। (2) राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का परिसमापन करने का प्रस्ताव भेजा था (फरवरी 2005)। यद्यपि, भारत सरकार ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया (नवंबर 2009) और निगम के पुनर्गठन/पुनः प्रवर्तन के लिए सलाह दी, लेकिन राज्य सरकार द्वारा आगे की कार्रवाई अभी भी लंबित है एवं मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम अभी भी अकार्यशील सांविधिक निगम है। (3) क्रिस्टल आईटी पार्क लिमिटेड और एसईजेड इंदौर लिमिटेड के उनकी नियंत्रक कम्पनी {मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम (इंदौर) लिमिटेड} के साथ संविलयन के आदेश जारी किए जा चुके हैं (जनवरी 2018)। राज्य सरकार ने अभी तक ₹ 14.69 करोड़ के नेट वर्थ[30] वाली शेष 10 कम्पनियों[31] के समापन/पुनः प्रवर्तन पर निर्णय नहीं लिया है।

अनुशंसा:

चूँकि भारत सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम के पुनर्गठन की सलाह देने के दस वर्ष व्यतीत होने के बावजूद पुनर्गठन अभी तक नहीं किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार अविलम्ब से समीक्षा करे कि क्या निगम का पुनर्गठन करना संभव है, जैसा कि भारत सरकार की सलाह थी। राज्य सरकार को 10[32]

[29] मध्य प्रदेश फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड 15 दिसम्बर 1994 से, मध्य प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड 28 जून 1990 से, मध्य प्रदेश विद्युत यन्त्र लिमिटेड अप्रैल 2005 से तथा ऑप्टेल टेलिकम्यूनिकेशन लिमिटेड जून 2000 से

[30] प्रदत्त पूंजी + संचय व आधिक्य – संचित हानियाँ

[31] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या सी3, सी5 एवं सी8 से सी15

[32] 18 अकार्यशील उपक्रम (घटायें) परिसमापनाधीन पांच उपक्रम (घटायें) एक उपक्रम जिसके पुनः प्रवर्तन का भारत सरकार ने सुझाव दिया है (घटायें) सम्विलयनाधीन दो उपक्रम।

अकार्यशील उपक्रमों के परिसमापन पर निर्णय की व्यवहार्यता का आंकलन करना चाहिए।

लेखों पर टिप्पणियां

1.17 वर्ष 2016–17[33] के दौरान 37[34] क्रियाशील कम्पनियों द्वारा उनके 48 अंकेक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किए गए। इनमें से 31 कम्पनियों के 2014–15 से 2016–17 की अवधि के 41 लेखों का चयन अनुपूरक लेखापरीक्षा के लिए हुआ। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की अनुपूरक लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संकेत मिलता है कि लेखों के संधारण की गुणवत्ता में काफी सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों और सीएजी की टिप्पणियों के कुल मौद्रिक मूल्य का विवरण तालिका क्र. 1.11 में दिया गया है।

तालिका क्र. 1.11: कार्यशील कम्पनियों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	2014–15		2015–16		2016–17	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	03	8.39	13	190.33	15	10,516.98
2.	हानि में वृद्धि	02	52.16	05	9,850.28	04	161.11
3.	महत्वपूर्ण तथ्यों को प्रकट न करना	02	697.28	08	123.79	04	9.85
4.	वर्गीकरण की त्रुटियाँ[35]	02	2,548.36	14	843.87	08	172.82

वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 18 क्रियाशील कम्पनियों द्वारा अंतिमिकृत 25 लेखों पर मर्यादित प्रमाण पत्र दिये। 15[36] कम्पनियों के 22 लेखों में लेखा मानकों के उल्लंघन के 65 मामले थे जो कि कम्पनियों द्वारा लेखा मानकों के अनुपालन की दयनीय स्थिति को दर्शाता है।

अनुशंसा:

वित्त विभाग और संबंधित प्रशासनिक विभागों को तत्काल उन 18 कम्पनियों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा मर्यादित टिप्पणियां दी गई है।

लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षाएँ और कंडिकाएँ

1.18 एक निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और 12 लेखापरीक्षा कंडिकाएँ, चार सप्ताह के भीतर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ कम्पनियों के प्रबंधन और संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को जारी की गई थी (मई 2017 से अगस्त 2017 तक)। प्रबंधन के उत्तर प्राप्त हुए। यद्यपि, तीन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के उत्तर विभागों से अभी भी अप्राप्त थे (दिसंबर 2017)।

[33] अक्टूबर 2016 से दिसम्बर 2017 की अवधि के दौरान।

[34] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए9, ए10, ए11, ए13, ए15, ए16, ए17, ए18, ए 23, ए24, ए25, ए27, ए28, ए29, ए30, ए32, ए34, ए35, ए36, ए39, ए44, ए45, ए46, ए47, ए48, ए49, ए50, ए52, बी1 एवं बी2

[35] 2014–16 के दौरान मदों के वर्गीकरण में बदलाव के साथ साथ तुलन पत्रक और लाभ–हानि खाते के नवीन प्रारूप लाने के कारण वर्गीकरण की त्रुटियों के बहुत मामले सामने आए।

[36] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए2, ए3, ए4, ए7, ए10, ए26, ए27, ए32, ए33, ए34, ए39, ए40, ए41, ए42 एवं बी2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन

अप्राप्त उत्तर

1.19 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन लेखापरीक्षा जाँच की प्रक्रिया की अंतिम स्थिति को प्रदर्शित करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि वे कार्यपालिका से उचित और समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त करें। वित्त विभाग, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी प्रशासनिक विभागों को निर्देश जारी किए (मई 2016) कि सरकारी उपक्रम संबंधी समिति की प्रश्नावली की प्रतीक्षा किए बिना, सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कंडिकाओं/समीक्षाओं के उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ, उनकी विधानसभा में प्रस्तुति के तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत करें। लंबित व्याख्यात्मक टिप्पणियों की स्थिति तालिका क्र. 1.12 में दी गई है।

तालिका क्र. 1.12: अप्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ (31 मार्च 2018 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सरकारी उपक्रम) का वर्ष	विधान सभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति की दिनांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएँ एवं कंडिकाएँ		निष्पादन लेखापरीक्षा व कंडिका की संख्या जिन पर विभागीय ज्ञापन लंबित हैं	
		निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षा	कंडिका
2015–16	24 मार्च 2017	03	15	01	01
योग		**03**	**15**	**01**	**01**

अनुशंसा:

संबंधित प्रशासनिक विभागों[37] को चाहिए कि, वित्त विभाग के निर्देशों (मई 2016) का अनुपालन करें और लेखापरीक्षा आपत्तियों पर समय पर प्रतिक्रिया दें।

सरकारी उपक्रम संबंधी समिति द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.20 31 मार्च 2018 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (उपक्रम) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं कंडिकाओं और उन पर सरकारी उपक्रम संबंधी समिति द्वारा की गई चर्चा की स्थिति तालिका क्र. 1.13 में दर्शायी गयी है।

तालिका क्र. 1.13: लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाएँ/कंडिकाएँ एवं उन पर चर्चा की स्थिति (31 मार्च 2018 को)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/ कंडिकाओं की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		कंडिकाएँ जिन पर चर्चा की गयी	
	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ	निष्पादन लेखापरीक्षाएँ	कंडिकाएँ
2009–10	02	09	02	08
2012–13	05	11	05	10
2013–14	03	08	03	08
2014–15	03	13	03	13
2015–16	03	15	0	0
योग	**16**	**56**	**13**	**39**

[37] खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग।

सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदनों का अनुपालन

1.21 सितंबर 1976 और मार्च 2017 के दौरान राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के 51 प्रतिवेदनों[38] में सम्मिलित 287 कंडिकाओं पर कार्रवाई प्रतिवेदन लंबित है (मार्च 2018) जैसा की तालिका क्र. 1.14 में दर्शाया गया है। यह सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदन सीएजी के 1973–74 से 2011–12 की अवधि के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से संबन्धित हैं। 2012–13 से बाद के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदन अभी तक (मार्च 2018) प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

तालिका क्र. 1.14: सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों पर अनुपालन

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों की कुल संख्या	सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनुशंसाओं की कुल संख्या	अनुशंसाओं की संख्या जिन पर कार्रवाई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुए
1973–74 से 2003–04	18	653	129
2004–05	06	91	34
2005–06	07	89	50
2006–07	03	38	17
2007–08	01	23	14
2008–09	01	26	26
2009–10	02	02	02
2010–11	09	12	11
2011–12	04	04	04
योग	**51**	**938**	**287**

(स्त्रोतः सरकारी उपक्रम सम्बन्धी समिति द्वारा प्रदत्त जानकारी)

अनुशंसाः

राज्य सरकार को सरकारी उपक्रम संबंधी समिति के प्रतिवेदनों पर कार्रवाई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुपालन शीघ्र सुनिश्चित करना चाहिये।

राज्य के पुनर्गठन के पश्चात उपक्रमों का पुनर्गठन

1.22 1 नवंबर 2000 से प्रभावी तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में पुनर्गठन के परिणामस्वरूप 19 उपक्रमों[39] (तब मौजूदा 28 उपक्रमों[40] में से) की संपत्तियाँ और देनदारियां, उत्तराधिकारी राज्यों में विभाजित की जानी थी। यद्यपि, दिसंबर 2017 तक केवल 13 उपक्रमों[41] के संबंध में ही विभाजन पूरा किया जा सका।

अनुशंसाः

चूंकि राज्य के पुनर्गठन के बाद दो दशकों से अधिक समय बीत चुका है, इसलिए राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर उन छह उपक्रमों

[38] मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा, वित्त, वन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, खनिज संसाधन, परिवहन, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण, पिछड़ा वर्ग विकास, अनुसूचित जाति और जनजाति विकास, शहरी विकास, पर्यटन, गृह (पुलिस), खाद्य प्रसंस्करण विभाग और उद्यानिकी विभागो से संबंधित जो कि 1973 से 2012 के सीएजी के प्रतिवेदनों में दर्शित हुई।

[39] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए1, ए2, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

[40] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए1, ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए8, ए11, ए12, ए13, ए14, ए17, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए46, ए47, सी1, सी4 एवं सी5 (शेष छह कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

[41] *परिशिष्ट 1.1* की क्रम संख्या ए1, ए2, ए14, ए28, ए31, ए32, ए34, ए45, ए47 एवं सी5 (शेष तीन कम्पनियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं)

की संपत्तियों और देनदारियों के शीघ्र विभाजन के लिए कार्य करना चाहिए, जिनमें 01 नवंबर 2000 को ₹ 36.98 करोड़ का सरकारी निवेश था।

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) के अंतर्गत ऊर्जा क्षेत्र में सुधार

1.23 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन और वित्तीय दक्षता में सुधार करने के उद्देश्य से ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय), विद्युत वितरण कम्पनियों के वित्तीय बदलाव के लिए एक योजना लागू की (नवंबर 2015)।

चिन्हित वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों के साथ योजना के कार्यान्वयन के लिए ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेन्ट कम्पनी लिमिटेड द्वारा उसकी सहायक कम्पनियों की ओर से अर्थात् तीनों राज्य विद्युत वितरण कम्पनियों नामतः, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपश्चिमक्षेविविकं), मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रपूर्वक्षेविविकं) और मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (मप्रमध्यक्षेविविकं) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) हस्ताक्षरित किया गया (अगस्त 2016)।

एमओयु के अनुसार तय महत्वपूर्ण वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में 31 दिसंबर 2017 तक की गई प्रगति ***परिशिष्ट 1.7*** में दी गयी है।

मप्रपूर्वक्षेविविकं और मप्रमध्यक्षेविविकं किसी भी वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। यद्यपि, मप्रपश्चिमक्षेविविकं ने एसीएस– एआरआर अंतर समाप्त करने और बिलिंग दक्षता के वित्तीय लक्ष्य प्राप्त कर लिए, यह कुल तकनीकी और वाणिज्यिक ह्रास (2017–18) और संग्रह दक्षता के लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही। जहां तक परिचालन लक्ष्यों की प्राप्ति की बात है, अविद्युतीकृत परिवारों तक बिजली पहुंचाने, ग्रामीण फीडरों का मीटरीकरण और ग्रामीण फीडरों के अंकेक्षण के लक्ष्य लगभग सभी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राप्त कर लिए गए। यद्यपि, वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण, स्मार्ट मीटरीकरण व एलईडी बल्बों के वितरण के लक्ष्यों के सन्दर्भ में विद्युत वितरण कम्पनियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था। आगे, मप्रपूर्वक्षेविविकं और मप्रमध्यक्षेविविकं, फीडर विभक्तिकरण के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकी।

मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सहायता अनुदान के उपयोग में विसंगतियाँ

1.24 मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन (फरवरी 1977) वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, मध्य प्रदेश शासन के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राज्य शासन की कम्पनी के रूप में किया गया। कम्पनी का नाम परिवर्तित कर (दिसम्बर 2004) मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (कम्पनी) कर दिया गया। कम्पनी की बहिर्नियमावली के अनुसार, कम्पनी के निम्नलिखित उद्देश्य है (1) राज्य शासन या कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट किये गए वस्तुओं एवं सेवाओ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आयोजन एवं संचालन करना (2) निर्यात को बढावा देना (3) आयात एवं आतंरिक विक्रय करना (4) मध्य प्रदेश में और बाहर, व्यापार और निवेश करने की सुगमता प्रदान करना एवं विभिन्न संस्थाओ के मध्य समन्वय स्थापित कर निवेश से पूर्व व पश्चात् कारगर सेवायें प्रदान करना (5) औद्योगिक सुगमता के लिए राज्य शासन या कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा उल्लिखित विशेष व्यवस्थाओं को लागू करना तथा (6) राज्य शासन के दिशा निर्देशानुसार औद्योगिक इकाइयों के प्रबंधन में मदद करना।

कम्पनी के 2015–16 से 2017–18 तक की अवधि के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित पाया गया:

- कम्पनी द्वारा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, कम्पनी के अधिकारियों आदि के प्रतिनिधि मंडलों के विभिन्न देशो में 15 विदेशी दौरा कार्यक्रम आयोजित किये गए जिनका विवरण ***परिशिष्ट 1.8*** में दिया गया है। इन दौरों पर ₹ 8.97 करोड़[42] का व्यय उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा "5531–डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अभियान" मद में प्राप्त सहायता अनुदान कोष से किया गया।

  लेखापरीक्षा ने पाया कि मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधियों का विदेशी दौरा आयोजित करना कम्पनी की बहिर्नियमावली में निर्दिष्ट कम्पनी के उद्देश्यों में विशिष्ट रूप से सम्मिलित नहीं था। इसके आलावा मध्य प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि मंडल के विदेशी दौरों पर व्यय न तो शासन के बजट के माध्यम से किया गया था और न ही राज्य शासन के खातो में दर्शाया गया था। बल्कि, कम्पनी द्वारा यह व्यय उपरोक्त अनुदान से किए जाने के कारण विदेशी दौरों पर किए गए व्यय की बजटीय समीक्षा भी टाल दी गई।

- जुलाई 2015 से अक्टूबर 2017 के दौरान प्रतिनिधि मंडल के जापान एवं कोरिया; चीन; एवं अमेरिका हेतु तीन विदेशी दौरों के सम्बन्ध में कम्पनी द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के अनुमोदन के बिना स्वीकृत राशि से ₹ 21 लाख[43] अधिक व्यय किये गए।
- मार्च 2016 को डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट अभियान मद में प्राप्त सहायता अनुदान में से ₹ 7.08 करोड़ अव्ययित शेष कम्पनी के पास उपलब्ध था। परंतु, राज्य सरकार को प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र के अनुसार कम्पनी के पास कोई अव्ययित शेष नहीं था। कम्पनी ने इस अंतर के कारणों को चिन्हित नहीं किया।
- सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुसार लाभ–हानि के विवरण पत्रक में नामें सभी व्यय, प्रमाणिक बिल/ दस्तावेजो द्वारा समर्थित होने चाहिए। वर्ष 2015–16 के दौरान कम्पनी ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), मुंबई को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) आयोजित करने के लिए ₹ 5.34 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, इस व्यय के लिए दस्तावेजी प्रमाण (सहायक बिल, वाउचर इत्यादि) कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार, 2016–18 की अवधि के दौरान, कम्पनी को उद्योग निदेशालय, मध्य प्रदेश से ₹ 34.21 करोड़ प्राप्त हुए थे जिसके विरुद्ध ₹ 31.00 करोड़ का व्यय किया गया। यद्यपि, ₹ 27.54 करोड़[44] का व्यय सहायक बिल, वाउचर इत्यादि प्राप्त किए बिना किया गया था। नतीजतन, व्यय/लेनदेन की वास्तविकता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

यद्यपि, मई 2018 में उपरोक्त लेखापरीक्षा टिप्पणियों को सरकार को सूचित किया गया था, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया लंबित है (जून 2018)।

[42] इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) के उन व्ययों की प्रतिपूर्ति सम्मिलित नहीं है, जिनका विवरण व वाउचर कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं थे।

[43] स्वीकृत ₹ 3.29 करोड़ के विरुद्ध किया गया वास्तविक व्यय ₹ 3.50 करोड़ था।

[44] ₹ 23.93 करोड़ सीआईआई के जीआईएस 2016 से संबन्धित दावों के विरुद्ध; ₹ 2.42 करोड़ जून 2016 से दिसंबर 2016 के दौरान अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों हेतु प्रतिनिधिमंडल के विदेशी दौरों के व्यय पूर्ति के लिए सीआईआई को प्रदत्त; ₹ 59.61 लाख (अगस्त 2016) का भुगतान कोंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क को प्रतिनिधिमंडलों के विदेशी दौरों के व्यय पूर्ति के लिए किया; प्रतिनिधियों की यात्रा व्यय के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एमपीएलयुएन) को ₹ 55.73 लाख भुगतान किया गया।